सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

25 फरवरी, 2022

सप्तदश विधान सभा | | 25 फरवरी, 2022 ई०
--------------- | शुक्रवार,तिथि | ---------------
पंचम सत्र | | 06 फाल्गुन, 1943(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाह्न)
(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

श्री महबूब आलम : एक सूचना है महोदय, खलील रिजवी की हत्या हुई है...

अध्यक्ष : आप सुन लीजिये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, इनका भी नाम शोक प्रस्ताव में महोदय शामिल किया जाय...

अध्यक्ष : बैठ जाइये ।

श्री महबूब आलम : महोदय, खलील रिजवी की हत्या हुई है...

अध्यक्ष : महबूब जी बैठ जाइये । लंबा सत्र है, मौका बहुत मिलेगा । बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

बैठ जाइये । अब बैठ जाइये । आपकी कोई भी बात प्रोसीडिंग में नहीं जायेगी । बैठ जाइये अभी ।

प्रारम्भिक सम्बोधन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, नए वर्ष में सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र के शुभारंभ पर मैं आप सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं ।

कुल 22 कार्य दिवसों का यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण है । इसमें राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर विमर्श होगा, वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के व्यवस्थापन के अलावा अन्य वित्तीय कार्य, राजकीय विधेयक एवं गैर सरकारी संकल्प लिये जाएंगे । मुझे उम्मीद है कि इस सत्र में ढेर सारे लोक महत्व के प्रश्न उठाये जाएंगे और राज्य के विकास तथा जन समस्याओं के निवारण के लिए आप सभी माननीय सदस्यगण बढ़-चढ़कर अपना-अपना योगदान करेंगे ।

विगत 17 फरवरी, 2022 को बिहार विधान सभा भवन शताब्दी वर्ष एवं विधान सभा के स्थापना दिवस के अवसर पर एक प्रबोधन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया । तत्परता और संवेदनशीलता के साथ आपकी जबरदस्त सहभागिता

के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं । आशा करता हूं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष, श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के माननीय उपसभापति, श्री हरिवंश जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, माननीय केन्द्रीय मंत्रीगण, वरिष्ठ सांसदों, नेता प्रतिपक्ष और अन्य रिसोर्स पर्सन्स के सारगर्भित व्याख्यानों तथा उद्बोधनों से आप निश्चित रूप से लाभान्वित हुये होंगे । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समय-समय पर ऐसे कार्यक्रम को किये जाने के लिए प्रोत्साहित किया है । मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सार्थक सहयोग से बिहार विधान सभा की ओर से ऐसे गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम समय-समय पर होते रहेंगे । मैं अपने और सदन के सभी माननीय सदस्यों की तरफ से मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने पूरी सदाशयता से इस कार्यक्रम की महत्ता को लोगों तक पहुंचाया ।

इसके अलावा सभा सचिवलाय द्वारा आप सभी माननीय सदस्यों के निजी सचिवों का एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया । इस कार्यक्रम में भी जो उत्साह और भागीदारी देखने को मिली उससे मैं अभिभूत हूं । मैं आशा करता हूं कि इस कार्यक्रम का भी सकारात्मक असर सदन के कार्यों की गुणवत्ता पर होगा । मैंने संसदीय प्रणाली को समसामयिक, जनोन्मुखी और उत्पादक बनाने का पूरा प्रयास किया है, जिसमें आपका सहयोग निस्संदेह प्रशंसनीय रहा है ।

संसदीय लोकतंत्र में विधायी निकाय जन अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है । यह विमर्श का ऐसा केन्द्र है, जहां वाद-विवाद और संवाद के जरिये समस्याओं के समाधान की राहें तलाशी जाती हैं । जनता की पहली निगाहें अनवरत हमारी निगाहबानी कर रही हैं । अतः यह हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक कर्त्तव्य है कि सत्र के दौरान मिले सीमित समय का सार्थक सदुपयोग हो । लोकतंत्र के इस पावन मंदिर की मर्यादा और गरिमा को ध्यान में रखते हुए हमें जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करना है । मुझे यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि बिहार विधान सभा के अपने डिजिटल चैनल 'बिहार विधान सभा टी0वी0' के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देश और दुनिया तक हो रहा है । सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में बैठी जनता भी अब अपने विधायकों से रूबरू हो सकेंगी । अतः हम सबका प्रयास होना चाहिए कि इस महान सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने वाली तस्वीर दुनिया के सामने जाय । अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि-

"सब तीर्थों का एक तीर्थ यह
हृदय पवित्र बना लें हम

आओ शत्रुहीन बन
सबको मित्र बना लें हम
रेखाएं प्रस्तुत हैं, अपने
मन के चित्र बना लें हम
सौ-सौ आदर्शों को लेकर
एक चरित्र बना लें हम ।''

मुझे पूरा विश्वास है कि लोकतंत्र के सजग प्रहरी, समाज और विधान के ज्ञाता के रूप में, विधि और शुचिता के दायरे में रहते हुए आप इस सदन को लोकहित का प्रतिबिंब और शासन-प्रशासन का दिशा-निर्देश करने वाली संस्था के रूप में दुनिया के सामने ले जाएंगे ।

राज्यपाल से प्राप्त संदेश

माननीय सदस्यगण, बिहार के राज्यपाल महोदय से निम्न संदेश प्राप्त हुआ है :-

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, एतद् द्वारा एक साथ समवेत बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों को दिनांक 25 फरवरी, 2022 को 11:30 बजे पूर्वाह्न में सम्बोधित करना चाहता हूं और बिहार विधान मंडल के विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल, पटना में सदस्यों की उपस्थिति चाहता हूँ ।

फागू चौहान,
राज्यपाल, बिहार ।

पटना,
दिनांक- 02.02.2022

टर्न-2/सुरज/25.02.22

माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे दोनों सदनों के सदस्यों के समवेत उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण विस्तारित भवन के सेन्ट्रल हॉल में होगा । महामहिम राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेन्ट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा । माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आयेंगे । इस बीच आप सभी माननीय सदस्यगण चलकर सेन्ट्रल हॉल में अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की समाप्ति के बाद पुनः इस सभा वेश्म में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे ।

अतः आप सभी माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेन्ट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना-अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे । अब आगे की कार्यवाही सेन्ट्रल हॉल में होगी ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय महामहिम राज्यपाल महोदय को लाने गये)

(इस अवसर पर सेन्ट्रल हॉल में महामहिम राज्यपाल महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय एवं माननीय सभापति महोदय का आगमन)

(राष्ट्रधुन)

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल महोदय, बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण यहां एकत्रित हैं । अतएव आपसे अनुरोध है कि अभिभाषण देने की कृपा की जाय ।

(महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण)

सत्यमेव जयते

भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 (1) के अधीन

बिहार विधान-मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत

अधिवेशन में

बिहार के महामहिम राज्यपाल

श्री फागू चौहान

का

अभिभाषण

25 फरवरी, 2022

<u>बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यगण</u>

मैं नए वर्ष के प्रथम सत्र के अवसर पर बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के एक साथ समवेत अधिवेशन में आप सभी को शुभकामनाएँ देता हूँ तथा राज्य की खुशहाली एवं बहुआयामी विकास की कामना करता हूँ। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय एवं विधायी कार्य सम्पन्न होने हैं। बिहार विधान मंडल के सभी सदस्यों से बिहार के विकास के लिए रचनात्मक भूमिका अदा करने की अपेक्षा करता हूँ। आपके बहुमूल्य सुझाव एवं विमर्श से बिहार की प्रगति को बल मिलेगा।

वर्तमान में भारत सहित पूरा विश्व कोरोना महामारी की तीसरी लहर से जूझ रहा है। कोरोना महामारी के कारण हमारा देश मार्च, 2020 से प्रभावित है, विश्व के अनेक देश तो और ज्यादा समय से प्रभावित हैं। पिछले साल के अन्त तक देश में कोरोना का संक्रमण काफी कम हो गया था। बिहार में भी नये संक्रमण की संख्या लगभग नगण्य हो गई थी। परन्तु, इस वर्ष की शुरूआत से ही देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना के नये वैरियेंट ओमिक्रोन के आने से मामले अचानक तेजी से बढ़े हैं। इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार लोगों के साथ रही है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा कई पाबंदियाँ लगाई गयी और कोरोना जाँच की रफ्तार को बढ़ाया गया है। अब तक प्रति 10 लाख आबादी पर 5 लाख 96 हजार से अधिक जाँच हुई है और प्रतिदिन औसतन डेढ़ से दो लाख जाँच की जा रही है। कोरोना पीड़ित लोगों को होम आईसोलेशन में रखा जा रहा है और उन्हें आवश्यक दवाओं की मेडिकल किट उपलब्ध कराये जा रहे हैं। मरीजों को कॉल करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी के साथ आवश्यक चिकित्सीय परामर्श भी दिये जा रहे हैं। कोरोना के इलाज के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर एवं कोविड केयर सेन्टर संचालित हैं जहाँ मरीजों के लिए पर्याप्त सामान्य बेड एवं ऑक्सीजन युक्त बेड उपलब्ध हैं। परन्तु इस बार कम ही मरीज हॉस्पिटल में पहुँच रहे हैं। अब कोरोना के संक्रमण में काफी कमी आयी है। अब कोरोना के मात्र 431 ऐक्टिव मामले रह गये हैं।

कोरोना से बचाव के लिए राज्य में टीकाकरण का कार्य मिशन मोड में किया जा रहा है एवं लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर अनुश्रवण जारी है। अब तक 18 वर्ष से ऊपर के 6 करोड़ 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 5 करोड़ 4 लाख लाभार्थियों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। 3 जनवरी, 2022 से 15–17 वर्ष के उम्र के बच्चों का भी टीकाकरण शुरू किया गया है और अब तक 48 लाख 68 हजार से अधिक बच्चों को टीकाकरण की पहली डोज तथा 14 लाख 58 हजार से अधिक बच्चों को दूसरी डोज दी गयी है। साथ ही 10 जनवरी, 2022 से फ्रंट लाईन वर्कर, हेल्थ केयर वर्कर एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के वैसे व्यक्ति, जिन्हे दोनों डोज लिये 9 माह पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें कोविड की एक अतिरिक्त डोज (Precautionary Dose) दिया जा रहा है। सभी को मिलाकर 11 करोड़ 88 लाख से अधिक कोरोना का टीका दिया जा चुका है। लेकिन, कोरोना से बचाव तभी संभव है जब सभी लोग कोरोना के प्रति सजग एवं सचेत रहेंगे और कोरोना से संबंधित सभी प्रकार के नियमों एवं दिशा–निर्देशों का पालन करेंगे।

बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2020 से यह अनुदान मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जा रहा था। जुलाई, 2021 से यह आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दी जा रही है। 50 हजार रूपये की दर से अतिरिक्त राशि भी दी जा रही है, जिसे केन्द्र सरकार ने आपदा राहत मद में अनुमान्य किया है।

राज्य में कानून का राज स्थापित रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और राज्य सरकार ने हमेशा से सुशासन एवं न्याय के साथ विकास पर जोर दिया है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि–व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया

है। इसके लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोत्तरी की गयी है। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। भूमिहीन थानों एवं ओ०पी० तथा पुलिस लाईनों के लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि उपलब्ध करायी जा रही है। थानों में अनुसंधान एवं विधि–व्यवस्था की अलग–अलग व्यवस्था की गयी है। आपराधिक काण्डों की शीघ्र सुनवाई एवं स्पीडी ट्रायल का अनुश्रवण किया जा रहा है। भूमि विवाद के निपटारे हेतु थाना स्तर पर प्रत्येक सप्ताह शनिवार को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी, अनुमंडल स्तर पर 15 दिनों में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर प्रत्येक माह जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा नियमित बैठक आयोजित करने का निर्देश है। वर्ष 2021 में कुल 28 हजार 875 बैठकें हुई, जिनका सरकार द्वारा लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेन्स की रही है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 में भ्रष्टाचार, आय से अधिक सम्पत्ति अथवा पदों के दुरूपयोग में संलिप्त भ्रष्ट लोक सेवकों के विरूद्ध कुल 57 कांड दर्ज किये गये हैं। बिहार विशेष न्यायालय अधिनियम के तहत अवैध अर्जित सम्पत्ति के अधिहरण हेतु विशेष न्यायालयों में 13 वाद दायर किये गये हैं।

राज्य में प्रशासनिक सुधार के कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा रहा है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार कानून को लागू कर नागरिकों को विभिन्न लोक सेवाएँ एक नियत समय–सीमा के अंतर्गत उपलब्ध कराई जा रही हैं। 15 अगस्त, 2011 से लागू इस अधिनियम के तहत अब तक 28 करोड़ 61 लाख से अधिक सेवाएँ प्रदान की जा चुकी हैं। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत लोगों के शिकायतों का नियत समय–सीमा में निवारण किया जा रहा है। इस अधिनियम के क्रियान्वयन को सफलता मिली है और नागरिकों का विश्वास बढ़ा है। यह अधिनियम 5 जून, 2016 से लागू है तथा इसके तहत अब तक लगभग 6 लाख 30 हजार से अधिक आवेदनों का समय–सीमा के भीतर निष्पादन कर लोगों की शिकायतों का निवारण किया गया है।

सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में बिहार के विकास के लिए सात निश्चय कार्यक्रम लागू किये गये। इसमें स्टूडेन्ट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता एवं कुशल युवा कार्यक्रम चलाये गये जिसका लाभ बिहार के युवक–युवतियों को मिल रहा है तथा यह आगे भी जारी रहेगा। हर घर तक बिजली पहुँचा दी गई है। हर घर तक नल का जल, हर घर तक पक्की गली और नाली का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। शौचालय निर्माण का कार्य भी लगभग पूरा हो गया है। टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का काम भी ज्यादातर पूरा हो चुका है। कुछ क्षेत्रों में जो भी काम बचे हैं उन्हें भी तेजी से कराया जा रहा है। संबंधित विभाग इसका अनुश्रवण कर रहे हैं।

विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करने के लिए सरकार द्वारा सात निश्चय–2 के तहत कुछ नए संकल्प लिए हैं जिनमें कई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू हो चुका है तथा अन्य की कार्य योजना तैयार की जा रही है। "युवा शक्ति–बिहार की प्रगति" के लिए राज्य के प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ाने के क्रम में कुल 149 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में परिणत करने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एकरारनामा किया गया है और प्रथम फेज में 60 संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किये जायेंगे। राज्य में अभियंत्रण विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विश्वविद्यालय एवं खेल विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु कानून बनाया गया है। अभियंत्रण विश्वविद्यालय एवं स्वास्थ्य विश्वविद्यालय को क्रियान्वित करने के लिए विभिन्न पदों की स्वीकृति दी गयी है। खेल विश्वविद्यालय में पदों की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

सरकार के दूसरे निश्चय "सशक्त महिला, सक्षम महिला" के अन्तर्गत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत सभी वर्ग की महिलाओं को 50 प्रतिशत अधिकतम 5 लाख रूपये का अनुदान एवं 5 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। उच्चतर

शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इन्टर पास करने पर अविवाहित महिलाओं को 25 हजार रूपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर सभी महिलाओं को 50 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने की योजना स्वीकृत की गयी है।

सरकार के तीसरे निश्चय "हर खेत तक सिंचाई का पानी" के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुँचाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तकनीकी सर्वेक्षण का काम पूरा हो चुका है। योजना को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित विभाग इस पर कार्य कर रहे हैं।

सरकार के चौथे निश्चय "स्वच्छ गाँव–समृद्ध गाँव" के तहत सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाईट लगाने के लिए राज्य के लगभग सभी वार्डों में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा सोलर स्ट्रीट लाईट के अधिष्ठापन हेतु निविदा की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

सरकार के पांचवें निश्चय "स्वच्छ शहर–विकसित शहर" के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 34 नगर निकायों में 52 मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी तथा 66 नगर निकायों में 105 स्थानों पर कचरे से कम्पोस्ट बनाने के केंद्र संचालित किये गये हैं। वर्तमान में 141 नगर निकायों में डोर–टू–डोर कचरा उठाव का कार्य किया जा रहा है। जिला मुख्यालयों एवं महत्वपूर्ण नदी घाटों के आसपास शवदाह गृह निर्माण कराने की योजना बनाई जा रही है। बरसात के पानी को निकालने के लिए शहरों में स्टोर्म ड्रेनेज निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया जा रहा है।

सरकार के छठे निश्चय "सुलभ संपर्कता" के तहत जाम की समस्या से मुक्ति एवं सुचारू यातायात के लिए पथ निर्माण विभाग द्वारा 120 स्थानों पर बाईपास पथों एवं एलिवेटेड पथों के निर्माण की योजना बनाई गयी है, जिसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वेक्षण कर गांव को महत्वपूर्ण स्थानों से सम्पर्कता प्रदान करने के लिए 3 हजार 482 पथों को चिन्हित किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

सरकार के सातवें निश्चय "सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा" के तहत गांव–गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य के 242 स्वास्थ्य संस्थानों को चिन्हित कर टेलीमेडिसिन की सेवा से जोड़ा गया है। टेलीमेडिसिन के माध्यम से लगभग 6 लाख लोगों को परामर्श दिया जा चुका है। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का निःशुल्क उपचार हेतु "बाल हृदय योजना" लागू की गयी है, जिसके तहत अब तक 220 बच्चों का प्रशान्ति फाउंडेशन के सहयोग से अहमदाबाद के सत्यसाईं अस्पताल में इलाज कराया गया है।

पशुओं की चिकित्सा हेतु प्रत्येक 8–10 पंचायतों पर पशु अस्पताल की व्यवस्था करने तथा चिकित्सा सुविधा, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, कृमिनाशन जैसी सेवाओं की डोर स्टेप डिलिवरी कराने की योजना बनायी जा रही है। सात निश्चय–2 के शेष अवयवों के क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना बनाई जा रही है।

पिछले दो वर्षों में कोविड–19 महामारी एवं "लॉकडाउन" के कारण पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा है। इस दौरान राज्य सरकार के व्यय में कोरोना पूर्व काल से लगभग 13 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज हुई है, जो राज्य सरकार के लोक कल्याणकारी दायित्वों के प्रति कटिबद्धता को दर्शाता है। कोरोना काल की अवधि में भी राज्य सरकार ने वित्तीय अनुशासन को ध्यान में रखते हुए निर्धारित राजकोषीय घाटे एवं ऋण दायित्वों की सीमा का भी बखूबी पालन किया है। विकट स्थिति के बावजूद राज्य सरकार ने समस्त सरकारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों को वेतन का ससमय पूर्ण भुगतान किया है।

आधारभूत संरचना एवं मानव संसाधन के विकास की किरणें बिहार के कोने–कोने तक पहुँच रही हैं। बिहार में सड़कों तथा पुल–पुलियों का जाल बिछाकर, अब राज्य के सुदूर क्षेत्र से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने के लक्ष्य पर कार्य योजना बनाकर निर्माण कार्य चल रहा है। आधारभूत

संरचना के निर्माण के बाद राज्य में पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों, पुल–पुलियों तथा सरकारी भवनों के अनुरक्षण की नीति बनाई जा रही है।

भवन निर्माण विभाग द्वारा राज्य के कई महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसमें पटना में गुरू गोविन्द सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में प्रकाश पुंज भवन तथा नई दिल्ली के द्वारिका में बिहार सदन का निर्माण कार्य वर्ष 2021 में पूर्ण कर लिया गया है। राजगीर में अन्तर्राष्ट्रीय खेल अकादमी–सह–क्रिकेट स्टेडियम, बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केन्द्र, वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, पटना में विधान सभा एवं विधान परिषद् के माननीय सदस्यों के आवास, ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी, बापू टावर तथा गर्दनीबाग एवं शास्त्रीनगर में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

शहरी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकास का कार्य कराया जा रहा है। पटना में मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। राज्य में नये नगर निकाय बनाये गये हैं तथा कई नगर निकायों को पुनर्गठित एवं उत्क्रमित किया गया है, जिसके फलस्वरूप नगर निकायों की संख्या 142 से बढ़कर 262 हो गयी है। इससे शहरी क्षेत्र का विस्तार हुआ है और आने वाले समय में नये शहरी क्षेत्रों में भी बेहतर नागरिक सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही नगर निगमों के मेयर एवं डिप्टी मेयर तथा नगर परिषद् एवं नगर पंचायत के मुख्य पार्षद् तथा उप मुख्य पार्षद् का आम जनता द्वारा सीधा निर्वाचन का अध्यादेश जारी किया गया है।

वर्ष 2016 से जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सिंचाई सृजन एवं बाढ़ नियंत्रण प्रभागों को अलग–अलग किया गया है, जिसके अब सकारात्मक परिणाम आने लगे हैं। बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हुआ है एवं बाढ़ नियंत्रण में भी काफी मदद मिल रही है। मधुबनी जिला के जयनगर में कमला नदी पर बराज निर्माण हेतु 405 करोड़ रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है, जिस पर कार्य शुरू हो चुका है। इस बराज निर्माण से सिंचाई क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी। पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का अवशेष कार्य तथा पूर्व से निर्मित नहरों एवं संरचनाओं का पुनर्स्थापन कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। जल–जीवन–हरियाली के अंतर्गत नये जल स्रोतों का निर्माण कराया जा रहा है तथा गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत गया–बोधगया, राजगीर एवं नवादा जैसे जल संकट वाले क्षेत्रों में गंगा नदी के पानी को पहुंचाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। गया में विष्णुपद मंदिर के पास फल्गू नदी में सालों भर जल की उपलब्धता के लिए राज्य सरकार द्वारा 266 करोड़ 50 लाख रूपये की योजना पर कार्य जारी है जिसमें रबर डैम का प्रावधान किया गया है, जो राज्य में अपनी तरह की पहली योजना है। सुपौल जिलान्तर्गत वीरपुर में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के तहत् 108 करोड़ 93 लाख रूपये की लागत से भौतिकीय प्रतिमान केन्द्र (Physical Modeling Centre) की स्थापना का कार्य प्रगति में है। यह केन्द्र जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा आधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होगा। इस केन्द्र के द्वारा नदियों एवं नदियों पर बनी संरचनाओं के हाईड्रोलिक प्रोपर्टिज के साथ–साथ नदी की प्रवृत्ति एवं गाद बहाव (Silt load) तथा नदी से संबंधित अन्य जटिल समस्याओं के बारे में अध्ययन किया जा सकेगा।

सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में व्यापक सुधार लाया गया है। बिजली के उत्पादन, संचरण एवं वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ किया गया है। बिजली में हुए सुधारों का नतीजा है कि वर्ष 2005 में बिजली की आपूर्ति जहाँ 700 मेगावाट थी वह अब बढ़कर 6 हजार 600 मेगावाट से अधिक हो गई है। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाये जा रहे हैं। अब तक 4 लाख 33 हजार स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाकर बिहार देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता हेतु डेडीकेटेड कृषि फीडर का निर्माण कर किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अन्तर्गत अब तक 273 विद्युत उपकेन्द्रों तथा 1 हजार 315 पृथक फीडरों का निर्माण किया जा चुका है। साथ ही 2 लाख 50 हजार से अधिक कृषि पम्प

सेटों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इच्छुक किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए दूसरे फेज में 1 हजार 329 करोड़ रुपये की नई योजना की स्वीकृति दी गयी है जो सरकार के "हर खेत तक सिंचाई का पानी" निश्चय में सहायक होगी।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु सरकार द्वारा कृषि रोड मैप बनाकर कई महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। वर्तमान में तीसरे कृषि रोड मैप के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों से कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों में उत्पादन एवं उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि एवं किसानों की आय में बढ़ोत्तरी हुई है। तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रही है, इसके तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति एवं नये कृषि रोड मैप का सूत्रण प्रक्रिया की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि को एक साल के लिए विस्तारित किया गया है। गंगा नदी के दोनों तरफ के 13 जिलों में जैविक खेती के लिए कृषि इनपुट अनुदान दिया जा रहा है एवं उसके तहत सब्जियों की जैविक खेती पर जोर है। सभी जिलों में मौसम अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत फसल चक्र तथा फसल अवशेष प्रबंधन पर किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। जैविक कॉरिडोर में 187 किसान उत्पादक संगठन को 17 हजार 507 एकड़ क्षेत्र में जैविक प्रमाणीकरण का सी–1 सर्टिफिकेट निर्गत किया गया है। जैविक प्रमाणीकरण के लिए बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी का गठन किया गया है। इस एजेंसी के द्वारा किसानों को जैविक प्रमाणीकरण का कार्य निःशुल्क किया जा रहा है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को उनकी फसल का वाजिब मूल्य मिले, इसके लिए सरकार द्वारा पैक्स एवं व्यापार मंडल के माध्यम से धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति की जा रही है। पिछले वर्ष खरीफ में 35 लाख 59 हजार मेट्रिक टन धान की रिकार्ड अधिप्राप्ति हुई थी। उसके बाद रबी में 4 लाख 56 हजार मेट्रिक टन गेहूँ की भी रिकॉर्ड अधिप्राप्ति हुयी है जो पहले नाम मात्र की होती थी। इस वर्ष खरीफ में 45 लाख मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया। अधिप्राप्ति की अंतिम तिथि 15.02.2022 तक थी और इस वर्ष खरीफ में कुल 44 लाख 91 हजार मेट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गयी है।

राज्य में उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाएँ एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2016 को संशोधित करते हुये इसे 2025 तक विस्तारित किया गया है। बिहार स्टार्ट–अप नीति के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रमाणीकृत 185 स्टार्ट–अप को 9 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है। मक्का एवं धान के किसानों की आय बढ़ाने हेतु विशेष इथेनॉल नीति लाई गई है, जिसके तहत 151 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 17 प्रस्तावों को केन्द्र सरकार ने अनुमति दी है, जिसमें 35 करोड़ 80 लाख लीटर प्रतिवर्ष इथेनॉल खरीद का एकरारनामा हुआ है। राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, सभी वर्ग की महिलाओं तथा अन्य युवाओं के स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लागू की गई है। इस वित्तीय वर्ष में चारों योजनाओं में कुल 15 हजार 986 लाभुक चयनित किये गये हैं, जिनका प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण के उपरांत लाभुकों को वित्तीय प्रोत्साहन एवं ऋण विमुक्ति की जायेगी।

राज्य सरकार ने मानव संसाधन की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए शिक्षा पर शुरू से ही विशेष ध्यान दिया है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में एक ओर जहाँ पोशाक, साईकिल, छात्रवृत्ति एवं अन्य कई योजनाएँ लागू की गई वहीं दूसरी ओर विद्यालयों के आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया गया। इसी का परिणाम है कि अब कक्षा 9 में लड़कियों की संख्या लगभग लड़कों के बराबर पहुंच गयी है। सरकार द्वारा बालिका शिक्षा पर शुरू से ही जोर दिया गया है। बालिका शिक्षा का प्रजनन दर से बिल्कुल सीधा संबंध है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। इस निर्णय के आलोक में 6 हजार 421

माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों को चिन्हित कर 6 हजार 421 उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी। इसमें से 3 हजार 473 पंचायतों के उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय को क्रमिक रूप से चालू कर दिया गया। शेष 2 हजार 948 पंचायतों में पर्याप्त भूमि नहीं रहने के कारण चिन्हित मध्य विद्यालयों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित कर अतिरिक्त वर्गकक्ष बनाये गये हैं जिनमें सत्र 2020–21 में 9वीं की पढ़ाई शुरू की गयी और अब 10वीं की पढ़ाई जारी है। इन 6 हजार 421 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में से 123 विद्यालयों में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध है। शेष सभी 6 हजार 298 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। प्रथम चरण में 2 हजार 768 नये विद्यालय भवनों के निर्माण की स्वीकृति पूर्व में दी जा चुकी है तथा इसके लिए अवशेष 1 हजार 844 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। शेष 3 हजार 530 विद्यालयों में आधारभूत संरचना का निर्माण हेतु 5 हजार 685 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

स्कूली शिक्षा के विकास एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए विद्यालय स्तर पर कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व की आवश्यकता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधीन प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का संवर्ग एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन किया गया है। प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक के 40 हजार 558 पद तथा उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 6 हजार 421 पद सृजित किये गये हैं। इन पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जायेगी, इसके लिए अधियाचना भेज दी गयी है।

राज्य में बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार हुआ है। जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2005–06 में जहां शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 61 थी वह अब घटकर 29 हो गई है जो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इसी दौरान मातृ मृत्यु दर प्रति लाख पर 312 से घटकर 149 हो गयी है। अस्पतालों में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास एवं कुशल मानव संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं। राज्य के 243 विधान सभा क्षेत्र में एक–एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ 5 स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं 136 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र यथा–कुल 1 हजार 379 स्वास्थ्य संस्थान के निर्माण हेतु 1 हजार 754 करोड़ 99 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है एवं योजना क्रियान्वित की जा रही है। पटना मेडिकल कॉलेज को 5 हजार 462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्वस्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के रूप में बनाया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में 100 बेड का स्टेट कैंसर इन्स्टीच्यूट की स्थापना की गयी है साथ ही यहाँ अतिरिक्त 1 हजार 200 बेड के अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भाभा एटौमिक रिसर्च सेंटर के सहयोग से 100 बेड का कैंसर अस्पताल बनाया जा रहा है। राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियोपैथी कॉलेज एवं अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए लगभग 837 करोड़ रूपये की योजना स्वीकृत की गयी है। इसके तहत कॉलेज एवं अस्पतालों के भवनों, छात्रावास एवं आवासीय भवनों का निर्माण किया जायेगा।

राज्य सरकार द्वारा समाज सुधार के कार्यक्रम लगातार चलाये जा रहे हैं। सबसे पहले शराबबंदी लागू कर सामाजिक परिवर्तन की बुनियाद रखी गई। समाज सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हुए बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के विरूद्ध राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लोगों का पूरा समर्थन मिला है।

सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सभी आयामों पर काम किया जा रहा है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जीविका के अंतर्गत 10 लाख के लक्ष्य से आगे बढ़कर 10 लाख 31 हजार स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिनसे 1 करोड़ 27 लाख से भी अधिक

महिलाएँ जुड़ चुकी हैं। इससे महिलाओं में जागृति आ रही है और वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों में इंडोर मरीजों को स्वच्छ एवं पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए जीविका द्वारा 'दीदी की रसोई' का संचालन 45 स्वास्थ्य संस्थानों में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं 4 अन्य संस्थानों में भी 'दीदी की रसोई' संचालित की जा रही है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा समाज के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को बिहार लोक सेवा आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु क्रमशः 50 हजार रूपये एवं एक लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के 3 हजार 117 तथा अति पिछड़ा वर्ग के 4 हजार 299 अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है। इसी प्रकार संघ लोक सेवा आयोग के लिए अनुसूचित जाति एवं अनूसचित जनजाति के 85 तथा अति पिछड़ा वर्ग के 115 अभ्यर्थियों ने इस योजना का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत कमजोर तबके के युवाओं को रोजगार के लिए हर पंचायत में 7 वाहन की खरीद हेतु 1 लाख रूपये प्रति वाहन अनुदान का प्रावधान है, जिसमें 4 अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति तथा 3 अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अस्पताल पहुँचाने के लिए ऐम्बुलेंस योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रखंड में 2 लाभुक यानि 1 अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति तथा 1 अति पिछड़ा वर्ग के युवाओं को ऐम्बुलेंस खरीदने पर 2 लाख रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। अब तक 562 लाभुकों को ऐम्बुलेंस खरीदने हेतु अनुदान दिया जा चुका है।

अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र–छात्राओं को नौकरियों हेतु प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना संचालित है। इससे वर्ष 2021–22 में 700 छात्र–छात्राओं ने कोचिंग का लाभ लिया। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत अल्पसंख्यक युवक–युवतियों को स्वरोजगार हेतु ऋण दिया जाता है। अब तक इस योजना के तहत 18 हजार 96 युवक–युवतियों को 277 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मुहैया कराया गया है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए परित्यक्ता सहायता योजना की 10 हजार रुपये की राशि से शुरूआत की गयी, जिसे अब बढ़ाकर 25 हजार रूपये कर दिया गया है। इस योजना के तहत अब तक 13 हजार 870 महिलाओं ने सहायता ली है।

पूर्व में मदरसा शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की स्थिति बहुत खराब थी। मदरसों के अनुदान में बढ़ोत्तरी की गई है और शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों का वेतन बढ़ाकर अन्य शिक्षकों के अनुरूप कर दिया गया है। वक्फ की भूमि पर बहुद्देशीय भवन, मुसाफिरखाना, विवाह भवन, व्यवसायिक भवन, दुकान, मार्केट कॉम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में वक्फ की भूमि पर प्लस टू स्तर के विद्यार्थियों के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी है। दरभंगा एवं किशनगंज में 57–57 करोड़ रुपये की लागत से आवासीय विद्यालय निर्माण का कार्य जारी है तथा पूर्णियाँ एवं मधुबनी जिलों की योजना को स्वीकृति दी गयी है। पटना में अंजुमन इस्लामिया के भवन का नये रूप में निर्माण कराया जा रहा है, जो अंतिम चरण में है। पटना के मीठापुर इंस्टीट्यूशनल एरिया में मौलाना मज़हरूल हक़ अरबी एवं फ़ारसी विश्वविद्यालय के भवन निर्माण कार्य पूरा हो गया है और यह विश्वविद्यालय नए भवन से कार्य कर रहा है।

वर्ष 2021 के जून माह में ही औसत वर्षापात की तुलना में दोगुनी से भी अधिक वर्षापात दर्ज की गयी। बिहार एवं नेपाल के तराई क्षेत्रों में हुई भारी वर्षा के कारण उत्तर बिहार की अधिकांश नदियों में जल स्तर बढ़ने से बाढ़ का सामना करना पड़ा। फिर अगस्त के प्रथम सप्ताह में दक्षिण बिहार एवं झारखंड क्षेत्र में अधिक वर्षापात होने के कारण दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई। वर्ष 2021 में आयी बाढ़ से कुल 32 जिलों के 298 प्रखंडों के 16 लाख 45 हजार परिवारों के लोग प्रभावित हुए। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए राहत केन्द्र एवं सामुदायिक रसोई केन्द्र खोले गये, जहाँ लाखों लोगों को भोजन कराया गया। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की गयी। बाढ़ प्रभावित परिवारों को प्रति परिवार 6 हजार रुपये की दर से सहायय राशि (Gratuitous Relief) सीधे उनके खाता में कुल 987 करोड़ 48 लाख रुपये अंतरित की गयी है। बाढ़ से फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान तथा पहली बार बाढ़ के कारण परती रह गयी जमीन से प्रभावित किसानों को सहायता के अंतर्गत 998 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गई है। प्राप्त आवेदनों की जाँच करा कर राशि का भुगतान किया जा रहा है।

बिहार में ईको–टूरिज्म के विकास के कार्यों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए विभाग में ईको–टूरिज्म विंग की स्थापना की गयी है। जिसके अंतर्गत पहाड़ी, वन एवं वन्य–प्राणी क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए उच्चस्तरीय सुविधाओं का निर्माण एवं रख–रखाव किया जायेगा। इसके लिए उपयुक्त ईको–टूरिज्म पॉलिसी का निर्धारण भी किया जा रहा है। वर्ष 2021 में राजगीर में नेचर सफारी की स्थापना की गयी है जिसमें ग्लास स्काई वाक् का निर्माण कराया गया है। इस प्रकार का ग्लास स्काई वाक् देश में पहला है। राजगीर में लगभग 480 एकड़ क्षेत्र में जू–सफारी का निर्माण कराया गया है। जू–सफारी में 5 तरह के जानवर यथा–बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरण हैं। सफारी में लोग बसों में बैठकर घूमते हैं और जानवर खुले में विचरण करते हुए नजर आते हैं। 16 फरवरी, 2022 से जू–सफारी कार्यरत हो गया है।

राज्य में हरित आवरण बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की स्थापना कर 24 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया, जिसके विरूद्ध वर्ष 2018–19 तक 22 करोड़ पौधे लगाये गये। अब पौधारोपण का कार्य जल–जीवन–हरियाली अभियान के तहत किया जा रहा है जिसके अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में 3 करोड़ 95 लाख पौधारोपण हुआ था तथा इस वित्तीय वर्ष में अब तक 3 करोड़ 87 लाख से अधिक पौधारोपण हो चुका है और यह कार्य अभी जारी है। बिहार विभाजन के उपरान्त राज्य में हरित आवरण मात्र 9 प्रतिशत रह गया था, अब वह लगभग 15 प्रतिशत हो गया है।

मेरे द्वारा आपके समक्ष रखी गयी सरकार की उपलब्धियों एवं कार्यक्रमों से स्पष्ट है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केन्द्र बिन्दु में रखते हुए राज्य के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के उत्थान के लिए सतत् प्रयत्नशील है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान सत्र में वित्तीय एवं विधायी कार्यों के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी जो राज्य के विकास में सहायक होगा। मुझे भरोसा है कि सभी सदस्य जिम्मेवारी के साथ सत्र के संचालन में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुझे धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद।

।। जय हिन्द ।।

बि०स०मु० (संसदीय कार्य),1–मो० जी०–800+10

सभा सचिव : महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हुआ ।

(राष्ट्रधुन)

(इस अवसर पर महामहिम राज्यपाल महोदय को विदा करने माननीय अध्यक्ष महोदय गये)

टर्न-3/राहुल/25.02.2022

(महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात् पुनः सभा वेशम में कार्यवाही प्रारंभ)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् सभा की कार्यवाही फिर से प्रारंभ की जाती है ।

अध्यासी सदस्यों का मनोनयन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-12(1) के अधीन मैं निम्न सदस्यों को सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र के लिए अध्यासी सदस्य मनोनीत करता हूँ :

1. श्री प्रेम कुमार, स0वि0स0
2. श्री नरेन्द्र नारायण यादव, स0वि0स0
3. श्री अवध विहारी चौधरी, स0वि0स0
4. श्रीमती ज्योति देवी, स0वि0स0
5. श्री मो0 आफाक आलम, स0वि0स0

कार्यमंत्रणा समिति का गठन

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-219(1) के अधीन मैं सप्तदश बिहार विधान सभा के पंचम सत्र के लिए कार्यमंत्रणा समिति का गठन निम्न प्रकार करता हूँ :

1. अध्यक्ष, बिहार विधान सभा	सभापति
2. श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री	सदस्य
3. श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री	सदस्य
4. श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री	सदस्या
5. श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री, संसदीय कार्य	सदस्य
6. श्री श्रवण कुमार, मंत्री, ग्रामीण विकास	सदस्य
7. श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता, विरोधी दल	सदस्य
8. श्री अजीत शर्मा, स0वि0स0	सदस्य

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. श्री जीतन राम मांझी, स0वि0स0
2. श्री महबूब आलम, स0वि0स0
3. श्री अखतरूल ईमान, स0वि0स0
4. श्री राम रतन सिंह, स0वि0स0
5. श्री अजय कुमार, स0वि0स0
6. श्रीमती स्वर्णा सिंह, स0वि0स0

नियमानुसार अध्यक्ष इस समिति के सभापति तथा सभा सचिव इसके सचिव होंगे ।

औपचारिक कार्य

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड-(2)(क) के अनुसार बिहार विधान सभा के समक्ष महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित बिहार नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2022 की एक प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

अध्यक्ष : सभा सचिव ।

सभा सचिव : महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के चतुर्थ सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित निम्न 03 (तीन) विधेयकों का विवरण सदन पटल पर रखता हूं जिस पर महामहिम राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-200 के तहत अनुमति प्रदान की गई है :

क्रमांक	विधेयक का नाम	अनुमति की तिथि
1.	बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021	12.12.2021
2.	बिहार विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2021	12.12.2021
3.	बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2021	15.12.2021

आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम-2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण की प्रति सभा मेज पर रखता हूं ।

शोक प्रकाश

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कतिपय जननायकों के निधन की सूचना मिली है, जिनके बारे में शोक प्रकट करना हमारा कर्तव्य है :

श्री महबूब आलम : एक हत्या हुई है महोदय,...

अध्यक्ष : आप वरिष्ठ सदस्य हैं । अभी शोक प्रस्ताव है, आप बैठ जाइए ।

(व्यवधान)

स्वर्गीय डॉ0 महेन्द्र प्रसाद

राज्य सभा के वर्तमान सदस्य डॉ0 महेन्द्र प्रसाद का निधन दिनांक-27 दिसंबर, 2021 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 81 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय प्रसाद वर्ष 1985, 1986, 1993, 2000, 2006, 2012 एवं 2018 में राज्य सभा के सदस्य रहे थे । वे जहानाबाद लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे एक कर्मठ व्यक्ति तथा सफल व्यवसायी भी थे । उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से अपने व्यवसाय को काफी विकसित किया था। हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को द;ुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय डॉ0 गौरी शंकर राजहंस

लोक सभा के पूर्व सदस्य डॉ0 गौरी शंकर राजहंस का निधन दिनांक-20 दिसंबर, 2021 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 83 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय हंस मधुबनी जिला के झंझारपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1984 में लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे प्रख्यात पत्रकार एवं लेखक भी थे । वे मिलनसार, मृदुभाषी एवं कर्मठ व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय हरि नारायण सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री हरि नारायण सिंह का निधन दिनांक-04 जनवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 89 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह भोजपुर जिला के जगदीशपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 एवं 1995 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे समाजवादी विचारधारा के संवेदनशील, मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय प्रो0 नलिनी रंजन सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य प्रो0 नलिनी रंजन सिंह का निधन दिनांक-08 जनवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 85 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह मुजफ्फरपुर जिला के काँटी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1980, 1985 एवं 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे । वे कर्मठ एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय शकुन्तला देवी

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्या श्रीमती शकुन्तला देवी का निधन दिनांक-09 जनवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 91 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय देवी बांका जिला के बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1972 में विधान सभा की सदस्य एवं बांका लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957 एवं 1962 में लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वे धर्मपरायण, कर्मठ, मिलनसार एवं मृदुभाषी महिला थीं । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

टर्न-4/मुकुल/25.02.2022

स्वर्गीय विजय शंकर मिश्र

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री विजय शंकर मिश्र का निधन दिनांक-15 जनवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 74 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय मिश्र बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1986 एवं 1992 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार, कर्मठ एवं व्यवहार कुशल व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय परवेज अहसन खां

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री परवेज अहसन खां का निधन दिनांक-24 जनवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 68 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय खां रोहतास जिला के चैनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मृदुभाषी, मिलनसार एवं कर्मठ व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय सुल्तान अहमद

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री सुल्तान अहमद का निधन दिनांक-28 जनवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 69 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय अहमद दरभंगा शहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे कर्मठ एवं मिलनसार व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दुःखी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय शिव प्रसन्न यादव

बिहार विधान परिषद् के पूर्व सदस्य श्री शिव प्रसन्न यादव का निधन दिनांक-04 फरवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 78 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय यादव वर्ष 2006 एवं 2014 में बिहार विधान परिषद् के सदस्य रहे थे । वे कर्मठ, मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय पद्मा चौबे

बिहार विधान सभा की पूर्व सदस्या श्रीमती पद्मा चौबे का निधन दिनांक-05 फरवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 84 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय चौबे मधुबनी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1985 में बिहार विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुई थीं । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी महिला थीं । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय उमेश सिंह

बिहार विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री उमेश सिंह का निधन दिनांक-22 फरवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 59 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय सिंह गया जिला के बाराचट्टी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1990 में बिहार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे । वे मिलनसार एवं मृदुभाषी व्यक्ति थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय बिपिन रावत

भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एवं पूर्व थलसेना अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत का आकस्मिक निधन एक दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिनांक-08 दिसम्बर, 2021 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 64 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय जनरल रावत एक उत्कृष्ट सैनिक और सुयोग्य सेना प्रमुख थे । एक सच्चे देशभक्त के रूप में उन्होंने सशस्त्र बलों और समस्त सुरक्षा व्यवस्था को समयानुकूल बनाने में बहुमूल्य योगदान दिया । सामरिक मामले में वे असाधारण दूरदर्शिता से सम्पन्न सेनानायक थे । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति एवं शोक संतप्त परिवार को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

स्वर्गीय लता मंगेशकर

सुर कोकिला के नाम से मशहूर तथा भारत रत्न से सम्मानित महान पार्श्व गायिका लता मंगेशकर जी का निधन दिनांक–06 फरवरी, 2022 को हो गया । निधन के समय उनकी आयु लगभग 92 वर्ष की थी ।

स्वर्गीय मंगेशकर वर्ष 1999 से 2005 तक राज्य सभा की सदस्या रही थीं । वे विगत सात दशकों से भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय और सम्मानित गायिका थीं । भारतीय उपमहाद्वीप सहित दुनिया भर में भारतीय संगीत को जनप्रिय बनाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । भावों और सुरों की विविधता से सजा उनका संगीत संसार भारतीय कला की अनमोल निधि है । आने वाली पीढ़ियां उन्हें निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक पुरोधा के रूप में याद करेंगी । हम उनके निधन से दु:खी हैं ।

ईश्वर दिवंगत आत्मा को शान्ति प्रदान करें तथा उनके असंख्य प्रशंसकों तथा शोक संतप्त परिजनों को दु:ख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

अध्यक्ष : अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर सभी दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए प्रार्थना करें ।

(एक मिनट का मौन)

अध्यक्ष : मैं अपनी तथा सम्पूर्ण सदन की ओर से शोक संतप्त परिवार के पास संदेश भिजवा दूंगा ।

अब सभा की बैठक, सोमवार दिनांक–28 फरवरी, 2022 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।